

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर नियम, 2017

**[2] संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (चंडीगढ़) नियम, 2017**

अधिसूचना क्रमांक 6/2017 – संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 30.06.2017

केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, \*2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (1) के अनुसरण में चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

**नियम 1 : संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (चंडीगढ़) नियम, 2017 है।
  - (2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे।
- 

\* राजपत्र में “1917” छपा है।